

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| 1. आवास आयुक्त
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। | 2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश। |
| 3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। | 4. नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश। |
| 5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश। | 6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
वृहत्तर नवीन ओखला औद्योगिक
विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश। |
| 7. प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम। | 8. प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र.सहकारी आवास संघ लि. लखनऊ |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 01 जुलाई, 2008

विषय : रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति के क्रियान्वयन हेतु अभियान चलाकर समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में तीव्र नगरीकरण एवं उपलब्ध जल स्रोतों के अत्यधिक/अनियमित दोहन के परिणामस्वरूप निरन्तर गिरते भू-जल स्तर में सुधार लाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 3671/9-आ-1-17विविध/03(आ.ब.) दिनांक 19.06.2003 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि 'भू-जल' संसाधनों के संरक्षण एवं सम्बर्द्धन की दृष्टि से 30 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के नव निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में तत्काल प्रभाव से रूफ-टॉप हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया जाए तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य योजना को एक अभियान के रूप में क्रियान्वित करते हुए इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाये।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 19.06.03 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही अब तक हुई प्रतीत नहीं होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम को और अधिक गंभीरता से लिये जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में यह आवश्यक है कि सभी कार्यदायी/रेगुलेटरी संस्थाओं द्वारा नियमित रूप

से इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाए तथा व्यापक अभियान चलाकर उक्त कार्यक्रम को कठोरता से लागू किया जाए।

3. इस सम्बन्ध में निर्गत किए गए शासनादेश संख्या यू.ओ. 35/आठ-1-05 दिनांक 25.4.06 के प्रस्तर-3. 6 के उप प्रस्तर-ख में 200 वर्ग मीटर एवं उससे कम क्षेत्रफल वाले भूखण्डों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रतिबन्ध को अवकमित करते हुए 300 वर्ग मीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर होने वाले सभी प्रकार के निर्माणों पर उक्त व्यवस्था लागू रहेगी।
4. इसी क्रम में आपका ध्यान उक्त शासनादेश दिनांक 25.04.2006 में दिए गए इस प्राविधान की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि 20 एकड़ से अधिक की योजनाओं के ले-आउट प्लान में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना के क्षेत्र के लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू-जल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी जलाशय बनाया जाए एक पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्ज रौफ्ट बनाया जाए। उक्त प्राविधान का क्रियान्वयन कठोरतापूर्वक सुनिश्चित किया जाय।
5. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नवत निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये :-
 - (1) 300 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल में निर्मित भवनों के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही की जाय।
 - (क) शासनादेश दिनांक 19.06.03 के पश्चात निर्मित भवनों का चिन्हीकरण किया जाय।
 - (ख) भवन स्वामियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था एक नियत समयावधि में सुनिश्चित करने हेतु नोटिस दी जाय और यह बाध्यकारी बनाया जाए कि वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने के उपरान्त प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट करेंगे। अनुपालन आख्या प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्राधिकरण स्तर से पुनरीक्षित कम्प्लीशन रिपोर्ट निर्गत की जाएगी।
 - (ग) शासनादेश दिनांक 19.06.03 के निर्गत होने की तिथि से 300 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ-टाफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
 - (2) निजी निर्माताओं अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों द्वारा निर्मित गुप हाउसिंग की कालोनियों तथा बहुमंजिली आवासीय इकाइयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/निर्माता का होगा।
 - (3) समस्त सरकारी व अर्द्धसरकारी भवनों में रूफ-टाफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/प्राधिकरण/अभिकरण/निगम का होगा।

6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम की प्रगति का सत्यापन शासन स्तर पर गठित टीम द्वारा समय-समय पर स्थल निरीक्षण करके भी किया जायेगा तथा इससे शासकीय निर्देशों के विपरीत कोई अनियमितता व शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित भवन स्वामी/निजी विकासकर्ता/सहकारी आवास समितियों/शासकीय अभिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से सम्बन्धित तकनीकी डिजाइन आदि की विस्तृत जानकारी आवास बन्धु की वेबसाइट www.awas.up.nic.in तथा भू-गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.gwd.up.nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है।
- उक्त समस्त कार्यवाहियां समयबद्ध, चरणबद्ध रूप में अभियान चलाकर अधिकतम 02 माह के अन्दर पूर्ण की जाएगी। इसी अभियान की पाक्षिक समीक्षा की जाए एवं इसकी विस्तृत रिपोर्ट आवास विभाग सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को भेजी जाए। दो माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त समस्त विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद/औद्योगिक विकास प्राधिकरण/स्थायी निकायों/निगमों के विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को इस आशय का लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी अधिकारिता में स्थित सभी भवनों/कार्यालय/कालोनियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था से संतुष्ट कर दिया गया है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव

संख्या 3982(1)/आठ-1-08, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल परिषद, लखनऊ।
6. निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव/सदस्य, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
8. अध्यक्ष, यूपीरेडको, लखनऊ।
9. अध्यक्ष आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश।

11. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय के साथ प्रेषित कि शासन की प्रतियां समस्त सम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुए उत्तर शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

हरमिन्दर राज सिंह
प्रमुख सचिव।